



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 29, 1945 शक सम्बत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2322/वि०स०/संसदीय/116(सं)-2023

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023

मॉडल शिप्ट, लॉजिस्टिक्स नीति के साथ-साथ पोत परिवहन और नौपरिवहन में सहायता हेतु नदी किनारे समुदायों के विकास, प्रथम और अन्तिम मील संयोजकता के रूप में सुरक्षित, कुशल, विश्वसनीय तथा पर्यावरण के अनुकूल अन्तर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन के प्रयोजनार्थ अन्तर्देशीय जलमार्गों के विनियमन तथा विकास हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में एक अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक अधिसूचित किये जा सकेंगे और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परिभाषाएं

2-(1) जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

(एक) "अनुलग्न भूमि" का तात्पर्य राष्ट्रीय या राज्य जलमार्ग से अनुलग्न समस्त भूमि से है, चाहे वह सीमांकित हो या न हो;

(दो) "प्राधिकरण" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से है;

(तीन) "घाट" का तात्पर्य अंतर्देशीय जल के साथ जलयान/पोत को घाट पर लगाये जाने के लिए गोदी, जैटी आदि प्रसुविधा से है;

(चार) "कार्गो" में जीवित व्यक्तियों के सिवाय ऐसी कोई भी वस्तु सम्मिलित है जिसका वहन जलयान में किया जा रहा हो, या किया जाने वाला हो;

(पांच) "कार्गो जलयान" का तात्पर्य ऐसे जलयान से है, जो यात्री जलयान नहीं है;

(छः) "केन्द्रीय सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है;

(सात) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;

(आठ) "सफाई" में जलसरणियों की झमाई, प्रशिक्षण, बंद करना, मोड़ना या परित्याग करना भी सम्मिलित है;

(नौ) "सफाई उपाय" का तात्पर्य सफाई के प्रयोजनों के लिए उपाय से है किन्तु इसमें बाढ़ के सापेक्ष तटों की सुरक्षा और उन तटों को प्रतिबंधित करने के उपाय सम्मिलित नहीं हैं जो मुख्यतया पोत परिवहन और नौ परिवहन से संबंधित क्षेत्रों के कारण कटावग्रस्त हो गये हों;

(दस) "नौघाट" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर अंतर्देशीय जलमार्ग के पार या उसके साथ यात्री परिवहन सेवाएं या संयुक्त रूप से यात्री और माल परिवहन सेवाएं प्रदान करने जलयान से है;

(ग्यारह) "माल" में जीवित व्यक्तियों को छोड़कर पशुधन और जलयान द्वारा ले जाया गया कोई वस्तु सम्मिलित है;

(बारह) "अवसंरचना" में डोक्स, गोदी, जैटी, लैंडिंग स्टेज, लॉक, बोइस, अंतर्देशीय बंदरगाह, कार्गो हैंडलिंग उपकरण, सड़क और रेल अभिगम और कार्गो भण्डारण स्थल जैसी संरचनाएं सम्मिलित हैं और पद "अवसंरचनात्मक सुविधाओं" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(तेरह) "अंतर्देशीय जल" अंतर्देशीय नौवहन के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर नदियों, नहरों, धाराओं, झीलों और अन्य नौगम्य जल निकायों को सम्मिलित करता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा सकता है;

(चौदह) "अंतर्देशीय राज्य जलमार्ग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर के जलमार्ग से है;

(पन्द्रह) "जैटी" का तात्पर्य जलयान में और जलयान से यात्रियों और माल को लाने एवं ले जाने हेतु अंतर्देशीय जल में कृत्रिम ढांचा से है;

(सोलह) "निर्माता" का तात्पर्य जलयान या उसके किसी हिस्से या उपकरण के निर्माण में लगे हुए व्यक्ति से है;

(सत्रह) "सदस्य" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य से है और इसमें प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(अट्ठारह) "राष्ट्रीय जलमार्ग" का तात्पर्य राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 17 सन् 2016) के अधीन राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग से है;

(उन्नीस) "नाव्य जलसरणी" का तात्पर्य ऐसी जलसरणी से है, जो पूर्ण वर्ष भर या उसके किसी भाग के दौरान नाव्य हो;

(बीस) "यात्री" का तात्पर्य कोई व्यक्ति जो जलयान पर किसी भी सामर्थ्य से सेवारत हो या कार्यरत हो, को छोड़कर जलयान पर आने जाने वाले किसी व्यक्ति से है;

(इक्कीस) "यात्री जलयान" का तात्पर्य है किराए या परितोष पर यात्रियों को लाये जाने में प्रयुक्त किसी पोत से है;

(बाइस) "बंदरगाह" का अर्थ वही होगा जैसा कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1908) में परिभाषित है;

(तेईस) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(चौबीस) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम से है;

(पच्चीस) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम से हैं;
 (छब्बीस) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;
 (सत्ताईस) "राज्य विधानमण्डल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधानमण्डल से है;
 (अट्ठाईस) "राज्य जलमार्ग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अंतर्देशीय जलमार्ग है जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा सकता है;

(उन्तीस) "गोदी" का तात्पर्य किसी जहाज/जलयान का गोदी पर लगने के लिए अंतर्देशीय जल के तट पर एक निर्माण से है;

(2) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 82 सन् 1985) और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) और तद्धीन बनाए गए केंद्रीय नियमों में प्रयुक्त और इस अधिनियम में अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो पूर्वोक्त अधिनियमों और नियमों में उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

3-(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहा जायेगा।

(2) उक्त प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन समनुदेशित हैं।

(3) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्वधीन, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान और अनुबंध करने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से मुकदमा दायर किया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा।

(4) प्राधिकरण में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात्:-

(एक) या तो परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोतपरिवहन तथा नौपरिवहन, बन्दरगाह, समुद्री मामले या उससे सम्बन्धित मामले में विशेष ज्ञान तथा वृत्तिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त या नामनिर्दिष्ट कोई विशेषज्ञ - **अध्यक्ष**

(दो) राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त व्यक्ति जिनके पास अंतर्देशीय जलमार्ग, पोतपरिवहन और नौपरिवहन, बंदरगाहों, समुद्री मामलों या उससे सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है - **उपाध्यक्ष**

(तीन) वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव - सदस्य (पदेन);

(चार) लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-सदस्य (पदेन);

(पांच) परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव - सदस्य (पदेन);

(छः) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-सदस्य (पदेन);

(सात) पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव- सदस्य (पदेन);

(आठ) वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव- सदस्य (पदेन);

(नौ) आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) का एक प्रतिनिधि- सदस्य;

(दस) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदेन;

4-(1) प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे स्थानों पर उप-कार्यालयों और जन सुविधा केन्द्रों की स्थापना कर सकता है, जैसा किया जाना आवश्यक हो।

5-(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष (वीसी) प्राधिकरण के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे।

(2) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष ऐसे कार्यकाल के लिए पद पर रहेंगे जो विहित किया जाय लेकिन वह 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अध्यक्ष के पद का कार्यकाल (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है)

प्राधिकरण का गठन

प्राधिकरण का कार्यालय

अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष (वीसी)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नवीकृत किया जा सकता है और उपाध्यक्ष का कार्यकाल इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अग्रतर अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नवीकृत किया जा सकता है।

(3) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष प्राधिकरण की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय।

अध्यक्ष (यदि किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं

6-कोई व्यक्ति अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह,-

(क) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता सम्मिलित है; या

(ख) एक अनुमोचित दिवालिया है; या

(ग) विकृत मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी कंपनी की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है; या

(ङ) राज्य सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है) और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र और निष्कासन

7-(1) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हाथ से लिखित नोटिस द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं।

(2) धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष जो उनकी/उसकी राय में,-

(क) कार्य करने से इंकार कर देता है; या

(ख) कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(ग) अपने पद का इतना दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो गया है; या

(घ) अन्यथा, सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त है।

(3) राज्य सरकार, अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष को उनके विरुद्ध जांच होने तक निलंबित कर सकती है।

(4) हटाए जाने के मामले में, अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया है) और उपाध्यक्ष को मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और जब हटाने का ऐसा आदेश पारित किया गया हो, अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है) और उपाध्यक्ष की सीट रिक्त घोषित की जाएगी।

(5) कोई अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष, जिसे इस धारा के अधीन हटा दिया गया है, प्राधिकरण के अधीन किसी भी क्षमता में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ

8-(1) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित और ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य जो विहित किये गये हों, प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेगा।

(2) प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, प्राधिकरण द्वारा विहित या उसको प्रत्यायोजित अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेगा।

प्राधिकरण की प्रशासनिक शाखाएँ, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी

9-(1) प्राधिकरण के पास इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक शाखाएँ होंगी :-

(क) तकनीकी शाखा (समुद्री और समुद्री, नागरिक, यांत्रिक, जलराशि सर्वेक्षण, मानचित्रण, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि)।

(ख) अंतर्देशीय जल परिवहन और यातायात और रसद के साथ-साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान और विकास शाखा आर एंड डी।

(ग) सामान्य प्रशासन और वित्त शाखा।

(घ) कोई अन्य शाखा जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा सृजित की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक शाखा के प्रमुख को निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे या तो राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित विषयों में शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों में से नियुक्त किये जायेंगे या उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जा सकते हैं।

(3) राज्य सरकार परिवहन विभाग, उ0प्र0 के अधिकारियों में से प्राधिकरण के सचिव की नियुक्ति करेगा जो अपर परिवहन आयुक्त स्तर का होगा। सचिव की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(4) प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

(5) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

(6) प्राधिकरण के सचिव, निदेशक (निदेशकों) और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्राधिकरण की निधियों से आहरित किये जाएंगे।

10—(1) प्राधिकरण की बैठकें ऐसे समय पर होंगी जैसा अध्यक्ष निदेश दें, परन्तु प्राधिकरण की बैठकें कलेंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी।

(2) प्राधिकरण ऐसे स्थानों पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगी जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जाय।

(3) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

11—इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण, जहां तक हो सकेगा कारबार सिद्धांत पर कार्य करेगा।

12—(1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण समय-समय पर ऐसी सलाहकार समितियों का गठन कर सकेगा जो उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(2) किसी सलाहकार समिति में पोट परिवहन एवं नौपरिवहन और सहबद्ध पहलुओं से सम्बन्धित योग्यता और अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे।

(3) प्राधिकरण आवश्यकतानुसार कृत्यों के दक्ष निर्वहन हेतु किसी विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को पैनलित कर सकता है।

13—(1) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्त है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

अध्याय—तीन

प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य

14—(1) प्राधिकरण यह कर सकता है,—

(क) अंतर्देशीय पोट अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) में राज्य सरकार से संबंधित उपबन्धों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;

(ख) अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ अंतर्देशीय पोट अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) के अधीन प्रदत्त शक्तियों, कार्यों या कृत्यों के निर्वहन के संबंध में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से सहयोग और समन्वय करना;

(ग) अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन, अंतर्देशीय जल बंदरगाह और टर्मिनल संचालन और सेवाओं की गतिविधियों को विनियमित करना;

(घ) अंतर्देशीय जलमार्गों पर, उसके पार या उसके नीचे संरचनाओं के निर्माण या परिवर्तन को विनियमित करना;

(ङ) अंतर्देशीय जलमार्गों (राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त) के वर्गीकरण के लिए मानक अधिकथित करना;

बैठकें

प्राधिकरण का कारबार के सिद्धांतों पर कार्य करना

सलाहकार समिति तथा विशेषज्ञों का पैनलीकरण

रिक्त आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य

- (च) नदी क्रूज संचालन के लिए पर्यटक सर्किट मार्ग तैयार करना और विनियमित करना;
- (छ) सभी मशीनीकृत जहाजों और गैर-मशीनीकृत जहाजों के अंतर्देशीय जहाजों का रजिस्ट्रीकरण और सर्वेक्षण करना;
- (ज) जहाजों, बंदरगाहों, टर्मिनलों, नेविगेशन और अन्य अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन गतिविधियों के लिए विहित सुरक्षा और पर्यावरण कानूनों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- (झ) अंतर्देशीय जलमार्गों और अनुलग्न भूमि में किसी भी बाधा या अड़चन को जो सुरक्षित नौपरिवहन में बाधा डाल सकती हो या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की या संरक्षण उपायों की सुरक्षा को संकटापन्न कर सकती हो उस दशा में जहां ऐसी बाधा या अड़चन विधिपूर्वक की गई हो उस व्यक्ति को जिसको ऐसी बाधा के हटाने या परिवर्तन द्वारा नुकसान हो प्रतिकर देने के पश्चात, हटा सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा ऐसी रुकावट या बाधा का लंबे समय तक जारी रहना या अन्यथा, ऐसे निष्कासन या परिवर्तन से क्षति से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने के बाद;
- (ञ) जलमार्गों के तल में या उससे कचरा फेंकने, सामग्रियों के सनिकेपण या वहां से उनको हटाने जैसे क्रियाकलाप को नियंत्रित करना और अपेक्षित स्वागत सुविधाएं और ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करना;
- (ट) उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर एक नदी, झील और अन्य जल निकाय के अवाह क्षेत्र का अवधारण और वर्गीकरण, अवधारित और परिभाषित अवाह क्षेत्र के भीतर क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण;
- (ठ) पोतपरिवहन और नौपरिवहन की सुरक्षा और सुविधा और अंतर्देशीय जलमार्गों के सुधार के लिए संरक्षण उपाय करना;
- (ड) अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए जलराशि सर्वेक्षण और अन्वेषण करना और दिन और रात के नौपरिवहन के लिए नौपरिवहन सहायता प्रदान करने वाले नदी चार्ट प्रकाशित करना, लेकिन यह रेडियो संचार तक सीमित नहीं है;
- (ढ) अंतर्देशीय जलमार्गों के बारे में नौपरिवहन मौसम संबंधी जानकारी का प्रसार करना;
- (ण) राष्ट्रीय जलमार्ग पर अन्तर्देशीय जल परिवहन का परिवहन के अन्य प्रकारों से समन्वय सुनिश्चित कर सकेगा;
- (त) उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के भीतर स्थित अंतर्देशीय जलमार्गों पर यान मार्गदर्शन की व्यवस्था कर सकेगा और बनाये रख सकेगा, जिनके संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ भी विनिर्दिष्ट नहीं किया है;
- (थ) अंतर्देशीय जलमार्गों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं, जल पर्यटन, ड्रेजिंग, नदी प्रशिक्षण, तटबंध, इत्यादि की स्थापना सहित अंतर्देशीय जल में पोतपरिवहन और नौपरिवहन से सुसंगत किसी भी क्रियाकलाप को प्रदान या अनुमति देना;
- (द) अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनलों के निर्माण, टर्मिनलों तक/से लोडिंग और अनलोडिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग मार्गों पर जलयान से जलयान पोतांतरण को विनियमित करना;
- (ध) उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर मशीनीकृत और गैर-मशीनीकृत अंतर्देशीय जहाजों के लिए यात्री किराए और माल भाड़े के लिए अधिकतम दरें नियत करने की शक्ति;
- (न) पोंटून पुलों का विनियमन;
- (प) अंतर्देशीय जल यातायात डेटा का विश्लेषण करना और उत्तर प्रदेश राज्य में समग्र अंतर्देशीय जलमार्ग विकास पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात मांग के लिए अनुमान लगाना और जलयान/कार्गो/फेरी संचालकों को उनकी विस्तार योजनाएँ तैयार करने में सहायता करना;
- (फ) जल परिवहन और पर्यटन, और पोतपरिवहन और नौपरिवहन से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक और व्यावहारिक अनुसंधान में संचालन और लगाया जाना;
- (ब) अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन सेवा प्रदाता, अंतर्देशीय जलयान मालिकों और चालक दल, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित हितधारकों की क्षमता निर्माण के प्रयोजन से एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के साथ-साथ भारत के भीतर और बाहर तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यक्रम की व्यवस्था करना;
- (भ) अंतर्देशीय जलमार्ग, जल परिवहन और पर्यटन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना;
- (म) राज्य सरकार द्वारा इसे समनुदेशित अन्य संबंधित कार्य करना;

(य) इसके समुचित कामकाज के लिए विनियम और विस्तृत मार्गदर्शन तैयार करना और कार्यकारी निर्देश जारी करना;

(कक) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित समस्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

(2) उप-धारा (1) के अधीन अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण कर सकता है—

(क) पर्यावरणीय, आर्थिक, सुरक्षा प्रबंधन और आपातकालीन योजनाओं को अनुमोदित करना और कार्यान्वित करना;

(ख) राज्य सरकार को इस अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करेगा;

(ग) उपभोक्ताओं और व्यापार के लाभ के लिए मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करना;

(घ) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, निजी भागीदारी और आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित करना;

(ङ) इस अधिनियम के लिए आनुषंगिक किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाना;

(च) राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किसी भी अन्य कृत्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी का निष्पादन;

(छ) अंतर्देशीय जल परिवहन संचालकों, नौका सेवा प्रदाताओं, अंतर्देशीय जल यातायात सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के न्यूनतम मानक अधिकथित करना; और

(ज) सेवा की निरंतरता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता से संबंधित निर्धारित प्रदर्शन मानकों की अनुश्रवण एवं लागू करना।

(3) उपधारा (1) के खंड (प) में निर्दिष्ट मुआवजे से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विवाद का निर्धारण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक भूमि के मामले में इसी तरह के विवादों से संबंधित कानून के अनुसार किया जाएगा।

15—इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय प्राधिकरण को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्—

(एक) लोगों को समन करना एवं हाजिर कराना और उन्हें शपथ के साथ मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों या चीजें प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(दो) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की आवश्यकता;

(तीन) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(चार) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अपेक्षा करना।

16—प्राधिकरण समस्त हितधारकों के साथ सम्यक परामर्श करके और अपने समस्त विनिश्चयों को सार्वजनिक सूचना के लिए पूर्ण रूप से प्रलेखित और उपलब्ध कराकर इस अधिनियम के अधीन प्रतिस्थापित शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए सुशासन, पारदर्शिता और औचित्य को सुनिश्चित करेगा।

अध्याय-4

संपत्ति और अनुबंध

17—(1) ऐसे दिन से, जिसे राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है—

(क) ऐसे दिन से ठीक पूर्व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निहित अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन से संबंधित या सम्बद्ध समस्त संपत्तियां और अन्य संपत्तियां, प्राधिकरण में निहित होंगी;

(ख) अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में ऐसे दिन से ठीक पूर्व राज्य सरकार द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए जाने वाले समस्त उपगत ऋण, दायित्व और देनदारियां, किए गए समस्त अनुबंध और किए जाने वाले समस्त मामले और चीजें प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ, या उसके लिए किया गया और किया जाने वाला माना जायेगा;

(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के प्रयोजनों के लिए या के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस दिन तक उपगत किए गए समस्त गैर-आवर्ती व्यय और राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय घोषित किए जाने पर, ऐसे निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई पूंजी के रूप में माना जाएगा;

प्राधिकरण को सिविल न्यायालय के समान ही शक्तियां प्राप्त होंगी

पारदर्शिता और सुशासन

राज्य सरकार की अस्तित्वों और देनदारियों का प्राधिकरण को हस्तांतरण

(घ) ऐसे दिन से ठीक पहले अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के संबंध में राज्य सरकार को देय समस्त धनराशि प्राधिकरण को देय समझी जाएगी;

(ङ) अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के सम्बन्ध में किसी भी मामले के संबंध में समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों जो राज्य सरकार द्वारा या उसके खिलाफ शुरू की गई हैं और लंबित हैं, या जो इस तरह से संस्थित किया जा सकता था, ऐसी तारीख से ठीक पहले, ऐसी तारीख को और उसके बाद प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जाएगा या संस्थित किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेने या सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार नियमित कर्मचारियों या संविदा कर्मचारियों को स्वयं के स्वामित्व पर नियुक्त करने की शक्ति होगी।

बशर्ते कि प्राधिकरण के साथ ऐसे किसी भी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में राज्य सरकार या संबंधित विभाग को उसके अवकाश वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए ऐसा योगदान देगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसे, अपनी नियमित सेवा में शामिल करने के प्राधिकरण के प्रस्ताव के संबंध में, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचित किया हो, कि वह नियमित कर्मचारी बनने का अपना आशय रखता है, प्राधिकरण द्वारा अपनी नियमित सेवा में समाहित कर लिया जाएगा।

(3) यदि कोई विवाद या संदेह उठता है कि राज्य सरकार की कौन सी संपत्ति, अधिकार या देनदारियां प्राधिकरण को अंतरित कर दी गई हैं या राज्य सरकार के अधीन सेवारत कर्मचारियों में से किसे इस धारा के अधीन प्राधिकरण के साथ प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा, ऐसे विवाद या संदेह का निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के परामर्श से किया जाएगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी भी राज्य कानून के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, इस धारा के अधीन, प्राधिकरण द्वारा किसी भी कर्मचारी को अपनी नियमित सेवा में समावेशित करने से ऐसा कर्मचारी उस अधिनियम या अन्य कानून के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा संविदाएँ

प्राधिकरण की ओर से संविदाओं को निष्पादित करने की शक्ति

18-इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई संविदा करने और पालन करने के लिए सक्षम होगा।

19-(1) प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक संविदा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त सामान्यतया या विशेष रूप से सशक्त हों और विनियमों में विनिर्दिष्ट ऐसे संविदाओं या संविदाओं की श्रेणी प्राधिकरण की सामान्य मुहर के साथ मुहरबंद की जाएगी :

परन्तु ऐसे मूल्य या रकम से अधिक का कोई अनुबंध नहीं किया जाएगा जो राज्य सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा इस निमित्त तय कर सकती है, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इसे पूर्व में अनुमोदित न किया गया हो :

परन्तु यह और कि स्थावर संपत्ति के अर्जन या विक्रय के लिए कोई संविदा या तीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी संपत्ति का पट्टा तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर आदेश द्वारा ऐसे मूल्य या रकम से अधिक की कोई अन्य संविदा निश्चित नहीं होगी जब तक इसे राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अनुमोदित नहीं किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन कोई संविदा करने की प्ररूप और रीति ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(3) कोई भी संविदा जो इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन विनियमों के अनुसार नहीं है, वह प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

अध्याय-5

वित्त, लेखा, लेखा परीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

फीसों और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण

20-(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पोत परिवहन, नौचालन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं या लाभों के लिए ऐसी दरों पर फीस और प्रभार का उद्ग्रहण कर सकता है, इसमें यात्रियों के लिए सुविधाएं और जहाजों की ठहरने से संबंधित जलयानों को घाट पर लगाने से संबंधित सुविधाएं, स्थोरा की उठाई-धराई और स्थोरा का भण्डारण शामिल है।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत फीस और प्रभार ऐसी रीति से संगृहीत किये जाएंगे जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किये जाएं।

21-राज्य सरकार, राज्य विधानमण्डल द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गये सम्यक विनियोग के पश्चात प्राधिकरण को ऐसी धनराशि का अनुदान और ऋण दे सकेगी, जो आवश्यक समझे।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान और ऋण

22-प्राधिकरण, ऐसी रीति से और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधधीन किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है या बंधपत्रों, डिबेंचरों या अन्य लिखितों, को, निर्गमित करके, किसी स्रोत से धन उधार ले सकता है जैसा वह इस अधिनियम के अधीन अपने समस्त या किसी कृत्य के निर्वहन के लिए उचित समझे।

प्राधिकरण की उधार लेने की शक्तियां

23-(1) "उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि" नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे-

निधि का गठन

(क) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान और ऋण;

(ख) इस अधिनियम के अधीन और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त फीस और प्रभार;

(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी राशि;

(घ) अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की किसी विशिष्ट परियोजना के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी राशि;

(ङ) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त राशियाँ, जिन पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

(2) निधि को निर्वहन के लिए उपयोजित किया जाएगा -

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है) और उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण के व्यय;

(ग) अपने मुख्य कार्यालय और अन्य उप-कार्यालयों की स्थापना में प्राधिकरण के खर्च, या तो नए निर्माण के माध्यम से या किराए पर लेने के माध्यम से।

24-प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

बजट

25-प्राधिकरण अपनी निधियों (किसी भी आरक्षित निधि सहित) का विनिधान राज्य और केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में या ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, कर सकेगा।

निधियों का विनिधान

26-प्राधिकरण के बैंकर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) के अर्थ में कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए।

प्राधिकरण के बैंकर्स

27-प्राधिकरण के खातों का रख-रखाव और लेखा-परीक्षा उस रीति से की जाएगी जो उत्तर प्रदेश के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और प्राधिकरण अपनी लेखापरीक्षित प्रति और उसके आधार पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ ऐसी तिथि से पहले जो विहित की जाय, ऐसी राज्य सरकार को देगा।

लेखा और लेखापरीक्षा

28-प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा विवरण देते हुए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

29-राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना

अध्याय-6

विविध

30-(1) इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दे :

राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व प्राधिकरण को यथासाध्य जहाँ तक हो सके अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) राज्य सरकार का यह विनिश्चय कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं अंतिम होगा।

प्राधिकरण के लिए
भूमि का अनिवार्य
अर्जन

31—प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित कोई भूमि लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जायेगी और ऐसी भूमि का प्राधिकरण के लिए अर्जन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्समान विधि के उपबन्धों के अधीन किया जा सकेगा।

कुछ विधियों का लागू
होना आदि

32—(1) इस अधिनियम के उपबंध भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 15) और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 1) के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और विशेष रूप से इस अधिनियम में कुछ भी भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 15) के अधीन किसी भी बंदरगाह के संरक्षक या किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग, निष्पादित या निर्वहन के लिए आवश्यक किसी भी क्षेत्राधिकार, कार्यों, शक्तियों या कर्तव्यों को प्रभावित नहीं करेगा, या किसी भी प्रमुख बंदरगाह के लिए न्यासी बोर्ड या प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 1) के अधीन किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, ऐसे बंदरगाह या प्रमुख बंदरगाह की सीमा के भीतर आने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग सहित) के किसी भी हिस्से के संबंध में।

(2) इस अधिनियम में कुछ भी अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 24) या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 15) के अलावा और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 1) या किसी भी राष्ट्रीय जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौचालन के संबंध में इस अधिनियम के शुरु होने से ठीक पहले प्रवृत्त कोई राज्य अधिनियम, संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

33—इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत कोई व्यक्ति जब भी इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तब सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और—

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन अथवा जांच कर सकेगा ;

(ख) तल मापन कर सकेगा ;

(ग) अवमृदा की खुदाई या वेधन कर सकेगा ;

(घ) सीमाओं और संकर्म का आशयित रेखांकन कर सकेगा ;

(ङ) चिह्न लगाकर और खाइयां काट कर ऐसी तल सीमाओं और रेखाओं को चिह्नित कर सकेगा ;

या

(च) ऐसे अन्य कार्य या बातें कर सकेगा, जो विहित की जाएं :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन में या किसी निवास-गृह से संलग्न किसी परिवृत आंगन या उद्यान में प्रवेश (जब तक कि वह प्रवेश उसके अधिभोगी की सम्पत्ति से न हो) ऐसे अधिभोगी को पहले, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौबीस घंटों की लिखित सूचना देकर ही करेगा।

प्रत्यायोजन

34—प्राधिकरण लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

प्राधिकरण के आदेशों
और अन्य लिखतों का
अधिप्रमाणन

35—प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और प्राधिकरण द्वारा निष्पादित सभी अन्य लिखतें, इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।

प्राधिकरण के सदस्यों,
अधिकारियों और
कर्मचारियों का लोक
सेवक होना

36—प्राधिकरण के समस्त सदस्यों, अधिकारियों, और अन्य कर्मचारियों, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं, उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

सद्भावपूर्वक की गयी
कार्यवाही के लिए
संरक्षण

37—(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम या नियमों अथवा विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात से कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण के विरुद्ध नहीं होगी और विशेषतया प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व नहीं होगा कि वह ऐसे अनुतोष उपायों के लिए उपबंध करे जो बाढ़ या संक्रमों के टूट जाने और पूरा न होने के कारण आवश्यक हो गए हैं।

38—(1) यदि, किसी राज्य सरकार की यह राय हो कि—

(क) गंभीर आपात के कारण प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं ; या

(ख) प्राधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और उस व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या किसी राष्ट्रीय जलमार्ग प्रशासन को हानि हुई है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिक से अधिक छह मास की इतनी अवधि के लिए जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस अधिनियम में वर्णित कारणों से इस अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, राज्य सरकार, प्राधिकरण को यह कारण दर्शित करने के लिए उचित अवसर देगी कि उसे अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए और प्राधिकरण के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर ;

(क) सभी सदस्य, अतिष्ठित किए जाने के दिनांक से, उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता, तब तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा, जिन्हें राज्य सरकार निदेश देगी;

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्ति जब तक इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है राज्य सरकार में निहित होगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण काल की समाप्ति पर, राज्य सरकार—

(क) अधिक्रमण काल को अधिक से अधिक छह मास तक की इतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जितनी आवश्यक समझे ; या

(ख) नई नियुक्ति द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में वे व्यक्ति जिन्होंने उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए हैं, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन मूलतः विनिर्दिष्ट अथवा इस उपधारा के अधीन बढ़ाई गई अधिक्रमण काल की समाप्ति के पूर्व किसी समय, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना को और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की तथा उन परिस्थितियों की जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगी।

39—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् :-

(क) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष और सचिव के निबंधन और शर्तें;

(ग) इस अधिनियम में संदर्भित सलाहकार समिति और विषय विशेषज्ञों के पैनलीकरण से संबंधित मामले;

राज्य सरकार की प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति

नियम बनाने की शक्ति

(घ) वह प्रपत्र जिसमें, और जिस समय, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपना बजट और इस अधिनियम के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;

(ङ) वह रीति जिसमें प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने निधि का विनिधान कर सकता है;

(च) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के खातों को बनाए रखने और सम्परीक्षा किये जाने की रीति;

(छ) इस अधिनियम के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग के संबंध में शर्तें और निर्बंधन; और

(ज) कोई अन्य मामला जो ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन और प्रशासन के प्रयोजन से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जाना आवश्यक है या किया जा सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

40—(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, साधारणतया इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप नियम बना सकता है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह रीति जिसमें और वे प्रयोजन जिनके लिए प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निर्बंधन और शर्तें;

(ग) ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्ग की संविदाएं जो प्राधिकरण की सामान्य मुहर से प्रमाणित की जानी हैं और वह रीति और प्रारूप जिसमें प्राधिकरण द्वारा संविदा की जा सकेगी ;

(घ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन इस अधिनियम में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में कोई कृत्य किए जा सकेंगे ;

(ङ) अन्तर्देशीय जलमार्ग पर पथ के नियम;

(च) अवसंरचनाओं और अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं का सुरक्षित, दक्षतापूर्ण और सुविधाजनक उपयोग, प्रबंध और नियंत्रण;

(छ) अन्तर्देशीय जलमार्ग पर लागू हुए माल का ग्रहण, भंडारण और निष्कासन और माल का प्रभार लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो लैंडिंग से पहले क्षतिग्रस्त हो सकती है या कथित तौर पर इतनी क्षतिग्रस्त हो सकती है;

(ज) ऐसे डॉकों, घाटों, जेटियों और उतराई मंचों को जिन पर माल जलयानों से उतारा जाएगा और जलयानों के फलक पर लादा जाएगा, को विनियमित करना, घोषित करना और परिभाषित करना;

(झ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन अन्तर्देशीय जल मार्ग पर, जलयानों पर माल लादा और उनसे उतारा जाएगा, को विनियमित करना; और

(ञ) उपद्रवियों या अन्य अवांछनीय व्यक्तियों तथा अतिचारियों को राष्ट्रीय जलमार्ग से हटाना;

(ट) बंधपत्रों, डिबेंचरों या अन्य लिखतों को जारी करने के लिए निर्बंधन और शर्तें;

(ठ) अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में समय, स्थान और प्रक्रिया के नियम, जिसमें इस अधिनियम के अधीन उसकी गणपूर्ति भी सम्मिलित है।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) से खंड (ञ) तक के अधीन बनाए गए किसी विनियम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन चालू रहता है वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन, ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

नियमों और विनियमों का राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना

41—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

42-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्षों के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्य और कारण

वर्तमान वैश्विक पटल पर अधिकांश राष्ट्र जी-कार्बोनाइजेशन की चुनौतियों का सामना अपेक्षाकृत अधिक सतर्कतापूर्वक कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के तीव्र ह्रास, ईंधन के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि और यानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर पर्यावरण प्रदूषण के कारण पर्यटन के साधन के दृष्टिगत अपेक्षाकृत सस्ता एवं प्रदूषण मुक्त परिवहन के रूप में जलमार्ग का अंगीकरण आवश्यक हो गया है।

उत्तर प्रदेश विभिन्न पवित्र नदियों एवं प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त स्थलों से समृद्ध राज्य है। राज्य के प्रमुख नदियों जैसे-गंगा, यमुना, सरयू इत्यादि में वर्षपर्यंत जल का निरन्तर प्रवाह बना रहता है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 17, सन् 2016) के अधीन 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 (प्रयागराज से हल्दिया तक) के अतिरिक्त, गंगा नदी पर दस अन्य राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को विकसित किए जाने के क्रम में राज्य स्तर पर अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना आवश्यक हो गया है। इस प्राधिकरण के गठन से, राज्य के भीतर जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन तथा नौ परिवहन में विकास, विनियमन एवं पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित करते हुए राज्य में एक पृथक प्रशासनिक इकाई स्थापित हो जायेगी, जो अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन के विकास हेतु तीव्र एवं समयबद्ध कार्यवाही सम्भव बनाएगी। जलमार्गों के विकास के माध्यम से उक्त प्राधिकरण का गठन नदियों की संवृद्धि एवं संरक्षण को भी सुनिश्चित करेगा। जलमार्गों के विकास से जल पर्यटन के दृष्टिगत नदियों के किनारे अवस्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल भी विकसित होंगे। जल परिवहन एवं जल पर्यटन में विकास तथा विस्तार से बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे।

उपर्युक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

दयाशंकर सिंह
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
परिवहन।

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र।

1-उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 के अध्याय-5 के अधीन धारा 20 में फीसों और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण, धारा 21 में राज्य सरकार द्वारा अनुदान और ऋण दिए जाने, धारा 22 में प्राधिकरण की उधार लेने की शक्तियाँ, धारा 23 में निधि का गठन, धारा 24 में बजट, धारा 25 में निधियों का विनिधान, धारा 26 में प्राधिकरण के बैंकर्स, धारा 27 में लेखा का लेखा परीक्षा, धारा 28 में वार्षिक रिपोर्ट और धारा 29 में वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त धनराशि जमा की जायेगी :-

(क) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान और ऋण;

(ख) इस अधिनियम के अधीन और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त फीस और प्रभार;

(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी राशि;

(घ) अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की किसी विशिष्ट परियोजना के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी राशि;

(ङ) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से समस्त राशियाँ, जिन पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

उक्त विधेयक के अधीन वसूल की गयी फीसों और प्रभारों को राज्य की लोक-लेखा निधि में जमा किया जायेगा।

2-उक्त विधेयक के प्रभावी होने पर अवसंरचनात्मक संसाधन एवं जनशक्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता होगी। फलस्वरूप राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार अवश्य आएगा, जिसका अनुमान लगाया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

दयाशंकर सिंह

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),

परिवहन।

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 में किए जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 में किए जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है:-

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1	2
1(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रवृत्त होने का दिनांक नियत करने की शक्ति और अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है।
3(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को, अधिसूचना द्वारा, उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन करने की शक्ति दी जा रही है।
17	इसके द्वारा राज्य सरकार को, अधिसूचना द्वारा, विभिन्न विभागों में निहित अन्तर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन की शक्ति प्राधिकरण में निहित करने की शक्ति दी जा रही है।
38	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उपबंधों के अधीन, अपने कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने पर, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति दी जा रही है।
39	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।

1	2
40	इसके द्वारा प्राधिकरण को, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियमावली बनाने की शक्ति दी जा रही है।
42(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाले कठिनाई को दूर करने के लिए अधिनियम के उपबंधों से असंगत उपबंध करने की शक्ति दी जा रही है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

दयाशंकर सिंह
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
परिवहन।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1179/XC-S-1-23-14S-2023
Dated Lucknow, December 20, 2023

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Antardeshheeya Jalmarg Pradhikaran Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 29, 2023.

THE UTTAR PRADESH INLAND WATERWAYS AUTHORITY BILL, 2023

**A
BILL**

to provide for the constitution of an Inland Waterways Authority in the State of Uttar Pradesh for the regulation and development of Inland Waterways for the purposes of safe, efficient, reliable and environment friendly inland water transport and tourism by way of river side communities' development, first and last mile connectivity to help modal shift, logistics policy as well as shipping and navigation, and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Act, 2023.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Short title,
extent and
commencement

Provided that different dates may be notified for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(i) "appurtenant land" means all lands appurtenant to a national waterway or state waterway, whether demarcated or not;

(ii) "Authority" means Uttar Pradesh Inland Waterways Authority constituted under this Act;

(iii) "berth" means facility such as wharf, jetty *etc.* for berthing the vessel/ship alongside inland water;

(iv) "cargo" includes anything except living persons carried or to be carried in the vessel;

(v) "cargo vessel" means a vessel which is not a passenger vessel;

(vi) "Central Government" means the Government of India;

(vii) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority appointed under sub-section (4) of section 3 of the Act;

(viii) "conservancy" includes dredging, training, closure, diversion or abandoning channels;

(ix) "conservancy measures" means measures for the purposes of conservancy but does not include measures for protection of banks against floods or for restricting banks which have become eroded mainly on account of regions not connected with shipping and navigation;

(x) "ferry" means a vessel providing passenger transport services or combined passenger and goods transport services across or along inland waterways within the State of Uttar Pradesh;

(xi) "goods" includes livestock and anything carried by a vessel except living persons;

(xii) "infrastructure" includes structures such as docks, wharves, jetties, landing stages, locks, bouys, inland ports, cargo handling equipment, road and rail access and cargo storage spaces, and the expression "infrastructural facilities" shall be construed accordingly;

(xiii) "inland waters", for the purpose of inland navigation, includes rivers, canals, streams, lakes and other navigable water bodies within the territorial jurisdiction of Uttar Pradesh which may be declared as such by notification in the official *Gazette* by the State Government;

(xiv) "inland waterway" means national as well as State waterway;

(xv) "jetty" means artificial structure into the inland water enabling the passage of passengers and cargoes to and from the vessel;

(xvi) "manufacturer" means a person engaged in the manufacturing of vessels or any part or equipment thereof;

(xvii) "member" means a member of the Authority appointed under sub-section (4) of section 3 and includes the Chairperson and the Vice Chairperson of the Authority.

(xviii) "national waterway" means the Inland Waterway declared to be a national waterway under the National Waterways Act, 2016 (Act no. 17 of 2016);

(xix) "navigable channel" means a channel navigable during the whole or a part of the year;

(xx) "passenger" means any person carried on a vessel except persons employed or engaged in any capacity on board of the vessel in connection with the business of the vessel;

(xxi) "passenger vessel" means a vessel used or adapted to be used for the carriage of passengers for hire or reward;

(xxii) "port" shall have the same meaning as defined in the Indian Ports Act, 1908 (Act no. 15 of 1908);

(xxiii) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(xxiv) "regulations" means regulations made by the Authority under this Act;

(xxv) "rules" means rules made by the State Government under this Act;

(xxvi) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(xxvii) "State Legislature" means the Legislature of Uttar Pradesh;

(xxviii) "State waterway" means the inland waterway within the territorial jurisdiction of Government of Uttar Pradesh which may be declared as such, by notification in the official *Gazette*, by the State Government;

(xxix) "wharf" means a construction on the banks of inland water for berthing of a ship/vessel;

(2) Words and expressions used in the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (Act no. 82 of 1985) and the Inland Vessels Act, 2021 (Act no. 24 of 2021) and the Central rules made thereunder, and not defined in this Act shall have the same meaning as assigned to them in the aforesaid Acts and rules.

CHAPTER II

THE UTTAR PRADESH INLAND WATERWAYS AUTHORITY

3. (1) The State Government shall by notification in the Official *Gazette*, constitute for the purpose of this Act, an Authority to be called "The Uttar Pradesh Inland Waterways Authority".

Constitution of the
Authority

(2) The said Authority shall exercise such powers and discharge such functions as assigned to it under this Act and the rules made thereunder.

(3) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall by the said name sue and be sued.

(4) The Authority shall consist of the following, namely:-

(i) Either the Minister of Transport, Uttar Pradesh or an expert from amongst persons who have special knowledge of and professional experience in matters related to inland waterways, shipping and navigation, ports, maritime affairs or in matters connected therewith as may be nominated or appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh- Chairperson;

(ii) A person appointed by the State Government from amongst persons who have special knowledge of and professional experience in matters related to inland waterways, shipping and navigation, ports, maritime affairs or in matters connected therewith-Vice-Chairperson;

(iii) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Finance-Member (*ex-officio*);

(iv) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the, Public Works Department (PWD) - Member (*ex-officio*);

(v) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Transport - Member (*ex-officio*);

(vi) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Irrigation and Water Resources - Member (*ex-officio*);

(vii) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Tourism and Culture- Member (*ex-officio*);

(viii) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Forest and Environment -Member (*ex-officio*);

(ix) A representative of Inland Waterways Authority of India (IWAI) nominated by the Chairman of IWAI - Member;

(x) Transport Commissioner, Uttar Pradesh - Chief Executive Officer (CEO) *ex-officio*.

Office of the Authority	<p>4. (1) The headquarters of the Authority shall be at Lucknow.</p> <p>(2) The Authority may, with prior approval of the State Government, establish sub-offices and citizen facilitation centers at such other places, as may be considered necessary.</p>
Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson (VC)	<p>5. (1) The Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson (VC) of the Authority shall be a whole time officer of the Authority.</p> <p>(2) The Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson shall hold office for such term as may be prescribed but the same shall not be exceeding 5 years. The term of office of Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) may be renewed by the Chief Minister of Uttar Pradesh and that of Vice-Chairperson may be renewed by the State Government for such further period as specified in the notification issued in this regard.</p> <p>(3) The Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson shall be entitled to receive, from the funds of the Authority, such salaries and allowances and shall be governed by such conditions of service as may be determined by a general or special order of the State Government in this behalf.</p>
Disqualifications for appointment as Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson	<p>6. A person shall be disqualified for being appointed as the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson, if he –</p> <p>(a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or</p> <p>(b) is an undischarged insolvent; or</p> <p>(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or</p> <p>(d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a company owned or controlled by the Government; or</p> <p>(e) has, in the opinion of the State Government, such financial or other interest in the Authority as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member.</p>
Resignation and removal of the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson	<p>7. (1) The Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson may, by notice in writing under their own hand addressed to the Governor of the State of Uttar Pradesh, resign from his office.</p> <p>(2) Notwithstanding anything in section 5, the Chief Minister of Uttar Pradesh or the State Government, as the case may be, may, by order, remove from the Authority the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson who in his/its opinion -</p> <p>(a) refuses to act; or</p> <p>(b) has become incapable to act; or</p> <p>(c) has so abused his office as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or</p> <p>(d) is otherwise unsuitable to continue as a member.</p> <p>(3) The State Government may suspend the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson, pending an inquiry against him.</p> <p>(4) In case of removal, the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson shall be given an opportunity of being heard in the matter and when such an order of removal has been passed, the seat of the the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson shall be declared vacant.</p> <p>(5) A Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson who has been removed under this section shall not be eligible for re-appointment in any capacity under the Authority.</p>

<p>8. (1) The Chairperson of the Authority shall, in addition to presiding over the meetings of the Authority, exercise and discharge such powers and duties of the Authority as may be delegated to him by the Authority and such other powers and duties as may be prescribed.</p>	<p>Powers of Chairperson and Vice-Chairperson</p>
<p>(2) The Vice-Chairperson of the Authority shall exercise and discharge such of the powers and duties of the Chairperson as may be prescribed or as may be delegated to him by the Authority.</p>	
<p>9. (1) The Authority shall have the following administrative branches for the discharge of its functions under this Act:-</p>	<p>Administrative Branches, Officers and other employees of the Authority</p>
<p>(a) Technical Branch (includes marine and nautical, civil, mechanical, hydrographic survey, cartography, Information Technology, etc.</p>	
<p>(b) Inland Water Transport and Traffic and Logistics as well as Training and Research & Development (R&D) Branch;</p>	
<p>(c) General Administration and Finance Branch;</p>	
<p>(d) any other branch which may be created by the Authority with the prior approval of the State Government.</p>	
<p>(2) The head of every branch mentioned in the sub-section (1) will be designated as Director, who will be either appointed by the State Government from amongst persons, including serving/retired Government servants, having academic qualifications, experience and expertise in the related subjects, or may be taken from other Departments or Public Sector Undertakings of the Government of Uttar Pradesh on deputation basis.</p>	
<p>(3) The State Government shall appoint the Secretary of the Authority from amongst the officers of Transport Department of the Government of Uttar Pradesh holding the rank of Additional Transport Commissioner. The terms and conditions of service of the Secretary shall be determined by the State Government.</p>	
<p>(4) The Authority may appoint other officers and employees as it considers necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.</p>	
<p>(5) Salary and allowances payable to and the other conditions of the service of the officers and employees of the Authority appointed under this Act, shall be such as may be prescribed.</p>	
<p>(6) The salaries and allowances of Secretary, Director(s) and all other officers and employees of the Authority shall be drawn from the funds of the Authority.</p>	
<p>10. (1) The Authority shall have its meetings at such time as the Chairperson may direct, but the meetings of the Authority shall be held at least once every quarter of a calendar year.</p>	<p>Meetings</p>
<p>(2) The Authority shall meet at such places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings, as may be provided by regulations.</p>	
<p>(3) The Chairperson or in his absence, the Vice Chairperson, or in the absence of both, the senior most member of the Authority shall preside over the meeting.</p>	
<p>11. In the discharge of its functions under this Act, the Authority shall act, so far as may be, on business principles.</p>	<p>Authority to act on business principles</p>
<p>12.(1) Subject to any rules made in this behalf, the Authority may from time to time constitute such Advisory Committees as may be necessary for the efficient discharge of its functions.</p>	<p>Advisory Committee and empanelment of experts</p>
<p>(2) An Advisory Committee may consist of such number of persons having qualifications and experiences related to shipping and navigation and allied aspects, as the Authority may deem fit.</p>	
<p>(3) The Authority may also empanel any subject expert(s) for the efficient discharge of its functions as and when required.</p>	

Vacancy, etc., not to invalidate the proceedings of the Authority

13. No act or proceeding of the Authority shall be invalidated merely by reason of-

- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority; or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Authority; or
- (c) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.

CHAPTER III

POWERS AND FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

Powers and functions of the Authority

14. (1) The Authority may,-

- (a) act as a Nodal Authority for the purpose of implementation of the provisions, related to State Government, in the Inland Vessels Act, 2021 (Act no. 24 of 2021);
- (b) co-operate and co-ordinate with the Inland Waterways Authority of India in relation to the discharging of powers, functions or duties conferred upon it under the Inland Vessels Act, 2021(Act no. 24 of 2021);
- (c) regulate the activities of inland water transport and tourism, inland water port and terminal operation and services;
- (d) regulate the construction or alteration of structures on, across or under the inland waterways;
- (e) lay down standards for classification of inland waterways (other than national waterways);
- (f) formulate and regulate tourist circuit route for river cruise operations;
- (g) registrations and survey of inland vessels of all mechanised vessels and non-mechanised vessels;
- (h) ensure compliance with prescribed safety and environmental laws/regulations for vessels, ports, terminals, navigation and other inland water transport and tourism activities;
- (i) remove or alter any obstruction or impediment in the inland waterways and the appurtenant land which may impede the safe navigation or endanger the safety of infrastructural facilities or conservancy measures where such obstruction or impediment has been lawfully made or has become lawful by reason of long continuance of such obstruction or impediment or otherwise, after making compensation to person suffering damage by such removal or alteration;
- (j) control activities such as throwing rubbish, dumping or removal of material, in or from the bed of the waterways and provide required reception facilities and refuelling ;
- (k) determination and classification of catchment area of a river, lake and other water body within the territorial jurisdiction of Uttar Pradesh, and superintendence over and control of activities within the determined and defined catchment area;
- (l) carry out conservancy measures for the safety and convenience of shipping and navigation and improvement of inland waterways;
- (m) carry out hydrographic surveys and investigations for the development, maintenance and better utilization of inland waterways and publish river charts, providing navigation aids for day and night navigation including but not limited to radio communication;
- (n) disseminate navigational meteorological information about inland waterways;
- (o) ensure co-ordination of inland water transport on inland waterways with other modes of transport;
- (p) establish and maintain pilotage on inland waterways that lie within the territory of Uttar Pradesh and in respect of which the Central Government has not specified anything;

- (q) provide or permit any activity having relevance to shipping and navigation in the inland waters including setting up of infrastructural facilities, water tourism, dredging, river training, embankment, et-cetera on inland waterways;
 - (r) regulate constructions of inland waterway terminals, loading and unloading to/from terminals and vessel to vessel transshipment on inland waterway routes;
 - (s) power to fix maximum rates for passenger fares and freight of goods for mechanized and non-mechanized inland vessels within the territorial jurisdiction of the state of Uttar Pradesh;
 - (t) regulation of pontoon bridges;
 - (u) carry out analysis of inland water traffic data and prepare annual reports on the overall inland waterways development in the State of Uttar Pradesh, make projections for inland waterways traffic demand in Uttar Pradesh, and assist vessel/cargo/ferry operators to draw up their expansion plans;
 - (v) conduct and engage in scientific and applied research in matters relating to water transport and tourism, and shipping and navigation;
 - (w) cause to establish a training institute as well as arrange program of technical training within and outside India for the purpose of capacity building of inland waterways transport service provider, inland vessels masters and crew, stakeholders, including officers and employees of the Authority;
 - (x) advise the State Government on matters relating to inland waterways, water transport and tourism;
 - (y) perform any other related functions as assigned to it by the State Government;
 - (z) frame regulations and detailed guidelines and issue executive instructions for its proper functioning;
 - (aa) furnish all the reports required under the provisions of this Act.
- (2) Without prejudice to the generality of the provisions contained under sub-section (1), the Authority may also:-
- (a) approve and implement environmental, economic, safety management and emergency plans;
 - (b) recommend to the State Government amendments to this Act;
 - (c) promote multi modal transport system for benefit of consumers and trade;
 - (d) promote public private partnerships, private participation and outsourcing for effective implementation of this Act;
 - (e) take all necessary steps for exercise of any power or discharge of any function which may be incidental to this Act;
 - (f) carry out any other function, duty and responsibility which may be entrusted to it by the State Government;
 - (g) lay down minimum standards of quality of service to be provided by the inland water transport operators, ferry service providers, inland water traffic service providers; and
 - (h) monitor and enforce the set performance standards relating to continuity, reliability and quality of service.
- (3) Any dispute arising out of or concerning the compensation referred to in clause (i) of sub-section (1) shall be determined according to the law relating to like disputes in the case of land required for public purposes.

Authority to have same powers as visited in a civil Court

15. The Authority shall, while discharging its functions under this Act, have the same powers as are vested in a civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908), in respect of the following matters, namely:-

- (i) summoning and enforcing the attendance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents or things;
- (ii) requiring the discovery and inspection of documents;
- (iii) receiving evidence on affidavit; and
- (iv) requisitioning any public record or copies thereof from any Court or office:

Transparency and good governance

16. The Authority shall ensure good governance, transparency and fairness while exercising its powers, functions and duties as enshrined under this Act by engaging in due consultations with all stakeholders and making all its decisions fully documented and available for public information.

CHAPTER IV

PROPERTY AND CONTRACTS

Transfer of assets and liabilities of the State Government to the Authority

17. (1) As from such day as the State Government may, appoint by notification in the Official *Gazette*, —

(a) all properties and other assets related or connected to inland waterways and water transport, water tourism and shipping vested in various departments of the State Government, immediately before such day, shall vest in the Authority;

(b) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with, or for the State Government immediately before such day for or in connection with the purposes of inland waterways and water transport, water tourism and shipping shall be deemed to have been incurred; entered into and engaged to be done by, with, or for the Authority;

(c) all non-recurring expenditure incurred by the State Government for or in connection with the purposes of inland waterways and water transport, water tourism and shipping up to such day and declared to be capital expenditure by the State Government shall, subject to such terms and conditions as may be determined by the State Government, be treated as capital provided by the State Government to the Authority;

(d) all sums of money due to the State Government in relation to inland waterways and water transport, water tourism and shipping immediately before such day shall be deemed to be due to the Authority;

(e) all suits and other legal proceedings with respect to any matter in relation to inland waterways and water transport, water tourism and shipping which having been instituted by or against the State Government and are pending, or which could have been so instituted, immediately before such date shall on and after such date be continued or instituted by or against the Authority.

(2) The Authority shall have the power to take employees from other Departments of Government of Uttar Pradesh / State Public Sector Undertakings / autonomous bodies on deputation basis or appoint regular employees or contract employees on its own as per procedure followed by the Government:

Provided that during the period of deputation of any such employee with the Authority, the Authority shall pay to the State Government or concerned Department in respect of every such employee, such contribution towards his leave salary, pension and gratuity as may be prescribed by the State Government:

Provided further that any such employee who has, in respect of the proposal of the Authority to absorb him in its regular service, intimated, within such time as may be specified in this behalf by the Authority, his intention of becoming a regular employee of the Authority, shall be absorbed by the Authority in its regular service.

(3) If any dispute or doubt arises as to which of the properties, rights or liabilities of the State Government have been transferred to the Authority or as to which of the employees serving under the State Government are to be treated to be on

deputation with the Authority under this section, such dispute or doubt shall be decided by the State Government in consultation with the Authority and the decision of the State Government thereon shall be final.

(4) Notwithstanding anything contained in any State law for the time being in force, the absorption of any employee by the Authority in its regular service under this section shall not entitle such employee to any compensation under that Act or other law and no such claim shall be entertained by any Court, Tribunal or other Authority.

18. Subject to the provisions of this Act, the Authority shall be competent to enter into and perform any contract necessary for the discharge of its functions under this Act.

Contracts by the Authority

19. (1) Every contract shall, on behalf of the Authority, be made by the Chairperson or such other member or such officer of the Authority as may be generally or specially empowered in this behalf by the Authority and such contracts or class of contracts as may be specified in the regulations shall be sealed with the common seal of the Authority:

Mode of executing contracts on behalf of the Authority

Provided that no contract exceeding such value or amount as the State Government may, from time to time, by order, fix in this behalf shall be made unless it has been previously approved by the Authority:

Provided further that no contract for the acquisition or sale of immovable property or for the lease of any such property for a term exceeding thirty years and no other contract exceeding such value or amount as the State Government may, from time to time, by order, fix in this behalf shall be made unless it has been previously approved by the State Government.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the form and manner in which any contract shall be made under this Act shall be such as may be specified in the regulations.

(3) No contract which is not in accordance with the provisions of this Act and the regulations made thereunder shall be binding on the Authority.

CHAPTER V

FINANCE, ACCOUNTS, AUDIT AND ANNUAL REPORT

20. (1) The Authority may, with the previous approval of the State Government, levy fees and charges at such rates for services or benefits rendered in relation to the use of the inland waterways for the purposes of shipping, navigation, infrastructural facilities, including facilities for passengers and facilities relating to the berthing of vessels, handling of cargoes and storage of cargoes.

Levy and collection of fees and charges

(2) The fees and charges levied under sub-section (1) shall be collected in such manner as may be determined by the Authority.

21. The State Government may, after due appropriation made by State Legislature by law in this behalf, make to the Authority grants and loans of such sums of money as it may consider necessary.

Grants and loans by the State Government

22. The Authority may, in such manner and subject to approval of the State Government, obtain loans from any scheduled commercial bank or borrow money from any source by the issue of bonds, debentures or other instruments as it may think fit for discharge of all or any of its functions under this Act.

Borrowing powers of the Authority

23. (1) There shall be constituted a Fund to be called "the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Fund" and there shall be credited thereto,—

Constitution of the Fund

(a) any grants and loans made to the Authority by the Central and State Government;

(b) all fees and charges received by the Authority under this Act and under Inland Vessels Act, 2021(Act no. 24 of 2021) ;

(c) any sum received by the Authority under any scheme of Central and State Government related to inland waterways;

(d) any sum received by the Authority under any specific project of Central

	and State Government related to inland waterways;
	(e) all sums received by the Authority from such other sources as may be decided upon by the State Government.
	(2) The Fund shall be applied for meeting,—
	(a) salary, allowances and other remuneration of the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson, Secretary and all other officers and employees of the Authority;
	(b) expenses of the Authority in the discharge of its functions under this Act;
	and
	(c) expenses of the Authority in establishing its head office and other sub-offices, either through new construction or hiring on rent.
Budget	24. The Authority shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority and forward the same to the State Government.
Investment of funds	25. The Authority may invest its funds (including any reserve fund) in the securities of the State and Central Government or in such other manner as may be prescribed.
Bankers of the Authority	26. The Bankers of the Authority shall be any Scheduled Commercial Bank within the meaning of Reserve Bank of India Act, 1934 (Act no. 2 of 1934), as may be determined by the Authority.
Accounts and audit	27. The accounts of the Authority shall be maintained and audited in such manner as may, in consultation with the Accountants General of Uttar Pradesh, be prescribed and the Authority shall furnish, to the State Government, before such date as may be prescribed, its audited copy of accounts together with the auditors' report thereon.
Annual Report	28. The Authority shall prepare, in such form and at such time each financial year as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year, and submit a copy thereof to the State Government.
Annual report and auditors' report to be laid before State Legislature	29. The State Government shall cause the annual report and auditors' report to be laid, as soon as may be after they are received, before each House of the State Legislature.
	CHAPTER VI
	MISCELLANEOUS
Power of State Government to issue directions	30. (1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Authority shall, in the discharge of its functions and duties under this Act, be bound by such directions on questions of policy as the State Government may give in writing to it from time to time: Provided that the Authority shall, as far as practicable, be given opportunity to express its views before any direction is given under this sub-section. (2) The decision of the State Government as to whether a question is one of policy or not shall be final.
Compulsory acquisition of land for the Authority	31. Any land required by the Authority for discharging its functions under this Act shall be deemed to be needed for a public purpose and such land may be acquired for the Authority under the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) or of any other corresponding law for the time being in force.
Application, etc., of certain laws	32. (1) The provisions of this Act shall be in addition to the provisions of the Indian Ports Act, 1908 (Act no.15 of 1908) and the Major Port Authorities Act, 2021 (Act no. 1 of 2021) and in particular nothing in this Act shall affect any jurisdiction, functions, powers or duties required to be exercised, performed or discharged by the conservator of any port or by any officer or authority under the Indian Ports Act, 1908 (Act no.15 of 1908), or the Board of Trustees for any major port or by any officer or

authority under the Major Port Authorities Act, 2021 (Act no. 1 of 2021), in or in relation to any portion of an inland waterway (including the national waterway) falling within the limits of such port or major port.

(2) Nothing in this Act shall affect the operation of the Inland Vessels Act, 2021 (Act no. 24 of 2021) or any other Central Act (other than the Indian Ports Act, 1908 (Act no. 15 of 1908) and the Major Port Authorities Act, 2021 (Act no. 1 of 2021) or any State Act in force immediately before the commencement of this Act with respect to shipping and navigation on any national waterway.

33. Subject to any rules made in this behalf, any person, generally or specially authorized by the Authority in this behalf, may, whenever it is necessary so to do for any of the purposes of this Act, at all reasonable times, enter upon any land or premises and, -

Power to enter

(a) make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;

(b) take levels;

(c) dig or bore into sub-soil;

(d) set out boundaries and intended lines of work;

(e) mark such level boundaries and lines by placing marks and cutting trenches; or

(f) do such other acts or things as may be prescribed:

Provided that no such person shall enter any building or any enclosed court or garden attached to a dwelling-house (unless with the consent of the occupier thereof) without previously giving such occupier at least twenty-four hours' notice in writing of his intention to do so.

34. The Authority may, by general or special order in writing, delegate to the Chairperson or Vice Chairperson or any other member or to any officer of the Authority, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order such of its powers and functions under this Act (except the powers to make regulations under this Act), as it may deem necessary.

Delegation

35. All orders and decisions of the Authority shall be authenticated by the signature of the Chairperson or Vice-Chairperson or any other member authorized by the Authority in this behalf and all other instruments executed by the Authority shall be authenticated by the signature of an officer of the Authority authorized by the Authority in this behalf.

Authentication of orders and other instruments of the Authority

36. All members, officers and other employees of the Authority shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).

Members, officers and employees of the Authority to be public servants

37. (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any officer of the Government or any member, officer or employee of the Authority for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder.

Protection of action taken in good faith

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the Authority for any damage caused or likely to be caused by anything in good faith done or purported to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder, and in particular, it shall not be the responsibility of the Authority to provide for relief measures necessitated by floods or by breaches and failures of works.

38. (1) If, at any time, the State Government is of opinion, -

Power of State Government to supersede the authority

(a) that on account of a grave emergency, the Authority is unable to discharge the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act; or

(b) that the Authority has persistently made default in complying with any direction issued by the State Government under this Act or in the discharge of the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act and as a result of which default the financial position of the Authority or the

administration of any inland waterway has deteriorated; or

- (c) that circumstances exist which render it necessary in the public interest so to do;

then the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, supersede the Authority for such period, not exceeding six months, as may be specified in the notification:

Provided that before issuing a notification under this Act for the reasons mentioned in this Act, the State Government shall give a reasonable opportunity to the Authority to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanations and objection, if any, of the Authority.

(2) Upon the publication of a notification under this Act superseding the Authority, -

(a) all the members shall, as from the date of supersession, vacate their offices as such;

(b) all the powers, functions and duties which may, by or under the provisions of this Act, be exercised or discharged by or on behalf of the Authority, shall, until the Authority is reconstituted under this Act, be exercised and discharged by such person or persons as the State Government may direct;

(c) all property owned or controlled by the Authority shall, until the Authority is reconstituted under this Act, vest in the State Government.

(3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under this Act, the State Government may,—

(a) extend the period of supersession for such further term, not exceeding six months, as it may consider necessary; or

(b) reconstitute the Authority by fresh appointment and in such case any persons who vacated their offices under clause (a) of sub-section (2) shall not be deemed disqualified for appointment:

Provided that the State Government may, at any time before the expiration of the period of supersession, whether as originally specified under sub-section (1) or as extended under this sub-section, take action under clause (b) of this sub-section.

(4) The State Government shall cause the notification issued under sub-section (1) and a full report of any action taken under this section and the circumstances leading to such action to be laid before State Legislature at the earliest opportunity.

Power to make rules

39. (1) For the purposes of effective implementation of the provisions of this Act, the State Government shall, by notification in the Official *Gazette*, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) powers and duties of the Chairperson and Vice-Chairperson;

(b) the terms and conditions of the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson and Secretary of the Authority under this Act;

(c) the matters with respect to the Advisory Committee and empanelment of subject experts referred to in this Act;

(d) the form in which, and the time at which, the Authority shall prepare its budget under this Act and its annual report under this Act;

(e) the manner in which the Authority may invest its funds under this Act;

(f) the manner in which the accounts of the Authority shall be maintained and audited under this Act;

(g) the conditions and restrictions with respect to exercise of the power to enter under this Act; and

(h) any other matter which is required to be, or may be, prescribed under the provisions of this Act for the purpose of implementation and administration of such provisions.

40. (1) The Authority may, with the previous approval of the State Government, by notification in the Official *Gazette*, make regulations, consistent with this Act and the rules made thereunder, generally to carry out the purposes of this Act.

Power to make regulations

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the manner in which and the purposes for which, the Authority may associate with itself any person under this Act;

(b) the terms and conditions of service of the other officers and employees of the Authority under this Act;

(c) the contracts or class of contracts which are to be sealed with the common seal of the Authority and the form and manner in which a contract may be made by the Authority;

(d) the manner in which, and the conditions subject to which, any functions in relation to the matters referred to in this Act may be performed;

(e) the rule of the road on inland waterways;

(f) the safe, efficient and convenient use, management and control of the infrastructures and infrastructural facilities;

(g) the reception, portorage, storage and removal of goods brought on a inland waterway, and the procedure to be followed for taking charge of goods which may have been damaged before landing, or may be alleged to have been so damaged;

(h) regulating, declaring and defining the docks, wharfs, jetties, landing stages on which goods shall be landed from vessels and shipped on board vessels;

(i) regulating the manner in which and the conditions under which the loading and unloading of vessels on a inland waterway shall be carried out;

(j) the exclusion from a inland waterway of disorderly or other undesirable persons and of trespassers;

(k) the terms and conditions for issue of bonds, debentures or other instruments;

(l) the time, place and the rules of procedure with regard to the transaction of business at its meetings including the quorum under this Act.

(3) Any regulation made under any of the clauses (c) to (j) of sub-section (2) may provide that a contravention thereof shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to one thousand rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

41. Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

Rules and regulations to be laid before State Legislature

42. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official *Gazette*, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the said difficulty:

Power to remove difficulties

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present, most of the countries on the global stage are facing the challenges of de-carbonization with a relatively more cautious approach. Due to serious environmental pollution resulting from rapid depletion of fossil fuels, gradual increase in the price of fuel and continuous increase in the number of vehicles, it has become necessary to adopt waterways, which is a relatively cheap and pollution free transport option, as a means of tourism.

Uttar Pradesh is a State enriched with different holy rivers and natural beautiful places. Continuous flow of water is maintained in main rivers of the State like Ganga, Yamuna, Sarayu, etc. throughout the year. It is noteworthy that the Government of India has declared 111 national waterways under the National Waterways Act, 2016 (Act no. 17 of 2016), in which apart from National Waterway No. 1 (from Prayagraj to Haldia) on the river Ganga, ten other national waterways are there in the State of Uttar Pradesh. In order to develop water transport and water tourism in the State of Uttar Pradesh, it has become necessary to form an Inland Waterways Authority at the State Level. With the formation of this Authority, a separate administrative unit will be established in the State ensuring development, regulation and environmental protection in water transport, water tourism and shipping and navigation in the State which will make it possible to take prompt and timely action for the development of inland waterways transport. Constitution of the said Authority will also ensure growth and conservation of rivers by the development of waterways. Religious and historical places situated at the banks of rivers will also be developed in view of water tourism by the development of waterways. Employment at larger scale will also be created by development and expansion in water transport and water tourism.

In the view of the above, it has been decided to constitute the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority.

The Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Bill, 2023 is introduced accordingly.

DAYASHANKAR SINGH
Rajya Mantri(Swatantra Prabhar),
Parivahan.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.